न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 278/2021

राजस्थान सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं।

––प्रार्थी

बनाम

रतनसिंह पुत्र जवाहरा राम, जाति जाट, निवासी लुट्टू, पुलिस थाना बिसाउ, जिला झुंझुनूं।

––अप्रार्थीगण

थाना बिसाउ पर दर्ज अ0स0 70/2021 धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट मे जप्तशुदा माल वजह सबूत को ई0सी0 एक्ट की धारा 6ए के तहत निस्तारण के संबंध मे।

––

उपस्थितः–

1. श्रीमती रामावतार, प्रर्वतन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि–प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मन्दरूप सिंह, लाखन सिंह, एडवोकेट– अप्रार्थी की ओर से आज उपस्थित नही।

आदेश

दिनांक 04.05.2022

प्रार्थी जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.04.2021 को श्री भंवरलाल खोखर आरपीएस वृताधिकारी वृत झुंझुनूं ग्रामीण झुंझुनूं मय जाप्ता श्री बलराम कानि0 1033 मय गाडी सरकारी चालक श्री उस्मान गनी एचसी नम्बर 512 के समय 12.45 पीएम पर वृत कार्यालय झुंझुनूं से राजकार्य हेतु रवाना होकर समय करीब 01.05 पीएम पर नांद का बास बस स्टैण्ड के पास पहुंचा जहां पर मन वृताधिकारी को जरिये खास मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति लुटटू से कांट रोड पर अवैध पैटोल डीजल की ब्रिकी कर रहा है। चूंकि मुखबीर इतला खास है। अतः हमराही जाप्ते को इतला से अवगत करवाया व इतला के सत्यापन हेतु अतिरिक्त जाप्ते की इमदाद के लिये थानाधिकारी बिसाउ को एक चार का जाप्ता बावर्दी रोहिडा बस स्टेण्ड पर भेजने की हिदायत देकर नांद का बास स्टैण्ड से रवाना होकर समय 1.30 पीएम पर रोहिडा बस स्टेण्ड पर पहुंचा जहां पर बिसाउ थाने से श्री रामनिवास एचसी 57 व श्री महेन्द्र कानि0 962 श्री मानसिंह कानि0 1337 मय बोलेरो गाडी सरकारी थाना बिसाउ मय चालक श्री मुकेश कानि0 993 बावर्दी मौजूद मिले जिनको इतला से अवगत करा कर हमराह साथ लेकर रोहिडा बस स्टेण्ड से रवाना होकर गस्त कोलिण्डा लुटटू करता हुआ समय 1.50 पीएम पर लुटटू से कांट रोड पर पहुंचा तो रोड के एक तरफ एक व्यक्ति एक आसमानी रंग का जरीकन आगे बैठा दिखाई दिया। जिसके जरीकन के पास नाप व कि[illegible] हुआ था शख्स को प्लास्टिक के जरीकन में क्या भरा बाबत पूछा तो बता[illegible] हुआ है। जिस पर शख्स को नाम पता पूछा तो अपना नाम रतनसिंह पुत्र जवाहरराम जाति जाट उम्र 50 साल निवासी लुटटू पुलिस थाना बिसाउ जिला झुंझुनूं का होना बताया। प्लास्टिक के जरिकन को खोल[illegible]क किया तो जरिकन के अन्दर पैट्रोल भरा हुआ मिला व जरीकन के पास एक नापनी व एक [illegible] रखा हुआ मिला प्लास्टिक के जरीकन में भरे पैट्रोल का नाप किया तो प्लास्टिक के जरीकन के अन्दर कुल 42 लीटर पैट्रोल भरा हुआ मिला शख्स रतनसिंह को इतनी मात्रा में पैट्रोल रखना व ब्रिकी करने बाबत लाईसेंस व अनुज्ञापत्र पुछा तो लाईसेस अनुज्ञापत्र नही होना बताया जिस पर शख्स रतनसिंह का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 16:30:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

...क्त कृत्य जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के खिलाफ वर्जी में आना पाया जाने पर शख्स के कब्जे में मिला आसमानी रंग के जरीकन में भरे हुये 42 लीटर पैट्रोल को कब्जा पुलिस में लिया जाकर जरीकन में से एक कांच की बोतल में 750 एमएल पैट्रोल बतौर नमुना सैम्पल लिया जाकर शील्ड मोहर कर मार्क A अंकित किया गया तथा उसी जरीकन में से एक कांच की बोतल में 750 एमएल पैट्रोल बतौर कन्ट्रोल सैम्पल लिया जाकर शील्ड मोहर कर मार्क A1 अंकित किया गया शेष बचे पैट्रोल को उसी जरीकन में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क A2 अंकित किया गया प्लास्टिक की जरीकन के पास रखे एक नापनी लौहे की व एक लोहे के किमें को बतौर वजह सबूत जप्त कर एक प्लास्टिक के कट्टे में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क **B** अंकित किया गया मुल्जिम रतनसिंह पुत्र जवाहरा राम जाति जाट उम्र 50 साल निवासी लुटटू पुलिस थाना बिसाउ जिला झुंझुनूं को जुर्म से अवगत कराया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तारी पृथक से गिरफ्तार किया गया वापसी पर बिसाउ थाना पर अभियोग संख्या 70/2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान प्रकरण हाजा में चालानी आदेश प्राप्त किये जाकर चार्जशीट नम्बर 44 दिनांक 31.5.2021 किता कि गई जो तारीख पेशी पर पेश न्यायालय की जायेगी। उक्त जप्तशुदा ड्रम में करीब 40 लीटर पैट्रोल भरा हुआ है। उक्त ड्रम के रख रखाव हेतु थाना पर उचित व्यवस्था नही है। जप्तशुदा सामान अत्यधीक ज्वलनशील पदार्थ है। उक्त ड्रम के रख रखाव हेतु थाना पर उचित व्यवस्था नही है। जप्तशुदा सामान अत्यधीक ज्वलनशीन पदार्थ है। उक्त ड्रम में गैस बनने के कारण ड्रमों के फटने की पूर्ण आशंका है। जिसके कारण हादसा होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण में जप्तशुदा पैट्रोल डीजल के निस्तारण आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी ने दिनांक 06.04.2022 को जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा अपनी घरेलू जरूरत के अनुसार बिरमी इण्डियन ऑयल ग्राम बिरमी से उक्त पेट्रोल बिल नं० 762 दिनांक 22.04.2021 से क्रय किया था। उसने राजस्थान से ही उक्त पेट्रोल क्रय किया है। इसलिए उसे उक्त पेट्रोल की राशि प्रार्थी को दिनाई जावे।

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी से 40 लीटर पेट्रोल मय ड्रम आसमानी रंग, नापनी लोहे की व कीमा जप्त किये गये है। अप्रार्थी के पास कोई लाईसेन्स पेट्रोल के विक्रय बाबत नही था। उक्त पेट्रोल के थाना रखरखाव की उचित व्यवस्था नही है। पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे स्वीकार कर जप्तशुदा 40 लीटर पेट्रोल मय ड्रम आसमानी रंग, नापनी लोहे की व कीमा के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 15:30:36 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी आज बहस के दौरान हाजिर नहीं... लगाई गई। अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण मे पेट्रोल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये व आगजनी से बचने के लिए इस पेट्रोल का निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये 40 लीटर पेट्रोल मय ड्रम आसमानी रंग, नापनी लोहे की व कीमा को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए (2)के तहत अधिहरण किया जाना

न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा 40 लीटर पेट्रोल मय ड्रम आसमानी रंग, नापनी लोहे की व कीमा का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर खुली निलामी मे विक्रय कर राशि को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं एवं जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.05.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मण सिह कुर्डी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 15:30:36 IST
Reason: SelfAttested